न्यायलय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निगरानी 290-PBR-15

सुभ्रदाबाई पति भालचन्द्र भोसले आयु 60 वर्ष
धंधा कृषि / गृहकार्य निवासी सिल्वरहिल
कालोनी धार जिला धार म0प्र0 ——निगरानीकर्ता

बनाम

प्रहलाद पिता भागीरथ जाति पूर्विया ठाकुर
आयु 52 वर्ष धंधा खेती निवासी ग्रम
तीसगांव जिला धार जिला धार म0प्र0 ——विपक्षी

निगरानी धारा 50 भू0रा0सं0 1959 मुजब

मान्यवर महोदय

सेवा मे निगरानीकर्ता का अत्यन्त विनम्रता से निवेदन है कि ग्राम मगजपुरा तहसील धार की बटवारें संबंधी जिसमें प्रहलाद व सब पक्ष है मौजूदगी मे सहमति से आज्ञा हुई है सहमति से हुई आज्ञा की अपील नही होती है इसके बावजूद 11 वर्ष बाद की गयी अपील 24 / 10 / 2006 को की है जो अपील बेसलेस है उसमे प्रहलाद पक्ष है सहमति है आदेश की जानकारी है अतः ऐसी कार्यवाही अगाहय करना थी इसके बारे मे हमारा अर्ज था उसे अनदेखा किया तो हमने निगरानी कलेक्टर महोदय धार के यहा की जो 07 / 05 / 2007 को हमारी आपत्ति अनदेखा कर आज्ञा दी मूल प्रकरण के अपीलकर्ता प्रहलाद जो इस प्रकरण मे विपक्षी है उसे हमारी निगरानी मंजूर करने मे कोई आपत्ति नही है ऐसी दशा में मेरी निगरानी मंजूर करना थी ऐसा ना करके राजस्व प्रकरण कमांक निगरानी 243 / 06–07 / निगरानी मे पारित आज्ञा 22 / 12 / 2014 अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग की जो मगजपुरा की भूमि की है। मेरी निगरानी अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इदौर को 11 साल बाद सहमति आदेश के विरूद्ध की गयी अपील प्रहलाद की समाप्त करना थी प्रहलाद सहमत था इसके बावजूद निगरानी अपास्त कर दी अवैध अधिकार रहीत आज्ञा यह अभ्यावेदन यह निगरानी अभ्यवेदन मूल न्यायालय की कार्यवाही समस्त व अर्ज प्रहलाद की अपास्त बाबद अन्दर अवधि पेश है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी–290 / 15 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.11.2017	आवेदक अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी तथा अनावेदक अधिवक्ता श्री टी0टी0गुप्ता उपस्थित । यह निगरानी वर्ष 2015 से लंबित है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त नहीं हो रहा है । यह निगरानी कलेक्टर द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी, धार को ग्राह्यता के बिन्दु पर निराकरण हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया है, ऐसी स्थिति में इस निगरानी को इस न्यायालय में प्रचलित रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः निगरानी समाप्त की जाती है । उभयपक्ष अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिये स्वतंत्र है । अध्यक्ष	